

## 29 नवम्बर को कांग्रेस मंथन करेगी, हरियाणा व महाराष्ट्र की हार के बारे में

उस दिन आहत सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में राहुल गांधी पर दबाव होगा कि वे कांग्रेस की भावी नीति के बारे में दिशा व राह तय करके बतायें

रेणु मिश्रल-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर कांग्रेस 29 नवम्बर को हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी हार पर मंथन एवं चिन्तन करेगी। इन दोनों राज्यों में अपनी जबरदस्त हार एवं वहाँ की राजनैतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिये कांग्रेस वकिंग कमेटी की मीटिंग में इन बिन्दुओं पर चर्चा होगी है।

इस समय राहुल गांधी पर भारी दबाव है कि वे पार्टी के आगे के रास्ते की रूपरेखा प्रस्तुत करें तथा बतायें कि पराजयों को रोकने तथा विभिन्न समस्याओं का सामना करने के सम्बंध में पार्टी की क्या योजनाएं हैं।

सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं कि विभिन्न राज्यों तथा लोकसभा चुनावों में एक के बाद एक हुई हारों के पीछे असली दोषी ई.वी.एम. हैं।

लेकिन प्रतिष्ठा बचाने के लिये, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे ई.वी.एम. के मुद्दे को न केवल उठावें, बल्कि आगे भी बढ़ायें।

शनिवार को, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आने के बाद, जयराम रमेश

उन पर यह भी दबाव है, कि पार्टी की हार का ठीकरा ई.वी.एम. के माथे पर फोड़े, इसीलिए जयराम रमेश व पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह ध्योरी चलाई थी। पर राहुल इस सोच के बारे में पूर्णतया सहमत नहीं लगते हैं।

पर, मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने बेबाक यह कहा है कि, पार्टी को ई.वी.एम. मशीन पर विश्वास नहीं है। यह ही पार्टी का अधिकृत सोच बनता नजर आ रहा है, और राहुल को भी यह सोच प्रतिपादित करनी होगी, मन से या बेमन से।

जैसा कि स्पष्ट नजर आ रहा है, महाराष्ट्र की हार के बाद राहुल व प्रियंका लगभग चुप ही हैं, इस हार के मुद्दे पर। पर राहुल को अब सख्त निर्णय लेने ही पड़ेगे, जिससे पार्टी जीवित रह सके। अब ये सख्त निर्णय ज्यादा दिन नहीं टाले जा सकते।

और पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की तथा उन्होंने आधे-अधरे मन से ई.वी.एम. पर दोषारोपण किया। लेकिन इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि पार्टी साफ तौर पर एक रुख अपनाये, जो चाहे इधर हो या उधर, तथा अपनी आदत के अनुसार, बुलमुल बातें करने

में अपना समय बर्बाद न करे। इस संदर्भ में, यह याद दिलाता उचित होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक सुस्पष्ट बयान दिया कि पार्टी को ई.वी.एम. पर जरा भी विश्वास नहीं है तथा चुनाव मतपत्रों के जरिये होने चाहिये।

पार्टी का यही रुख नजर आ रहा है तथा इसकी गूँज 29 नवम्बर को सी.डब्ल्यू.सी. की मीटिंग में सुनाई दे सकती है।

इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव तथा शरद पवार जैसे नेता का यह विचार पहले से ही है तथा ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि पार्टी इस मामले में गठबंधन के अन्य पार्टियों के साथ गंभीरता से चर्चा कर सकती है। उधर, ममता बनर्जी तथा टी.एम.सी. नेता कल्याण बनर्जी राहुल गांधी तथा कांग्रेस पर खुलकर कटाक्ष कर रहे हैं।

साफ बात यह है कि ममता इंडिया गठबंधन की नेता बनना तथा गठबंधन में अपनी चलाना चाहती हैं। राहुल इस हार के बाद खामोश हैं तथा प्रियंका गांधी ने भी महाराष्ट्र को लेकर कोई बयान नहीं दिया है।

ये हार गठबंधन के अन्दर राहुल गांधी की स्थिति तथा सोच को कमजोर कर रही है। पार्टी नेताओं ने उन्हें सलाह दी है कि वे दृढ़ और दूरगामी निर्णय लें, पुराने निष्क्रिय नेताओं को हटायें, अच्छा प्रदर्शन न करने वाले (नॉन फरफॉर्मर्स) (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## सोरेन 28 नवम्बर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

-जाल खंबाता -

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर झारखंड के राज्यपाल सन्तोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन 28 नवम्बर को राँची में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिये आमंत्रित किया है। यह मुख्यमंत्री के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल होगा क्योंकि फरवरी 2024 में अपनी गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था तथा सत्ता की बागडोर चम्पई सोरेन को सौंप दी थी। लेकिन वे जुलाई 2024 में फिर से मुख्यमंत्री बन गये थे।

हेमन्त सोरेन ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आमंत्रित किया।

अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जे.एम.एम.) की चुनावी सफलता के बाद, हेमन्त ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिये प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। उन्होंने मंगलवार को यहाँ प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की।

वे अपने मंत्रालय में मंत्री पदों के लिये कांग्रेस तथा लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल (आ.जे.डी.) के वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ‘पूर्व सी.जे.आई. चन्द्रचूड की वजह से एम.वी.ए. की हार हुई’

शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपने एक्शन से दल बदल का रास्ता खुला छोड़ दिया

-श्रीनंद झा -

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर शिवसेना (यू.बी.टी.) का मानना है कि हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि पार्टी में विभाजन के बाद, संयुक्त सेना विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की याचिकाओं पर जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड ने निर्णय नहीं लिया। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगाया कि “अपने एक्शन से भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने राजनीतिक दलबदल के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए और राजनेताओं के मन से कानून का भय खत्म कर दिया।”

जस्टिस चंद्रचूड ने इस बात की प्रतिक्रिया में कहा है, “पूरे वर्ष हम मौलिक संवैधानिक मामलों से निपटते हैं, जिनमें से कुछ 20 साल से लंबित हैं। नौ जजों, सात या पांच जजों की बैंच इन केसों पर फैसला लेने के लिए बैठती

संजय राउत ने कहा कि इससे नेताओं में कानून का डर खत्म हो गया।

पूर्व सी.जे.आई. चन्द्रचूड ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि क्या अब राजनैतिक दल तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस केस की सुनवाई करे, माफ कीजिए यह “चॉइस” सुप्रीम कोर्ट की है।

ज्ञातव्य है कि, जनवरी 2022 में जब शिवसेना का विभाजन हुआ था तब उद्भव ठाकरे ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से फैसला करने को कहा था, जिन्होंने इस वर्ष जनवरी में शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित कर दिया था।

हैं, अब, क्या किसी राजनीतिक दल को यह निर्णय लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किस केस की सुनवाई करे? सॉरी, यह चॉइस सुप्रीम कोर्ट की है।”

जनवरी 2022 में, अविभाजित शिवसेना में एकनाथ शिंदे पटक के

विद्रोह के बाद विभाजन हो गया और उद्भव ठाकरे को हटा कर शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। ठाकरे ने दलबदल करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के लिए याचिका दायर की, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ‘अजित पवार से गठबंधन कर सरकार बनाएं’

भाजपा नेतृत्व ने देवेन्द्र फड़नवीस को स्पष्ट निर्देश दिया

-जाल खंबाता -

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने मंगलवार को अपने नेता देवेन्द्र फड़नवीस से कहा कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पद से हटने से इन्कार करें, तो वे (फड़नवीस) मुख्यमंत्री पद के लिये अपना दावा प्रस्तुत कर दें। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें सलाह दी कि वे अजित पवार के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) से गठजोड़ कर लें।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि अजित पवार ने इस आइडिया को मान लिया है, क्योंकि भाजपा 132 सीटें जीत कर मजबूत स्थिति में है तथा वह अजित पवार गुट के समर्थन से बहुमत का आँकड़ा, जो 145 सीटों का है, प्राप्त कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि अन्य पार्टियों के कुछ “मूक” समर्थक भी

बांग्लादेश में इस्कों प्रमुख चिन्मय प्रभु गिरफ्तार

ढाका, 26 नवंबर बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। चटगांव इस्कों पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध

हिंदू समुदाय ने सड़कों पर विरोध जताया तो जमात और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने उन पर हमला किया, हमले में 50 से ज्यादा हिन्दू घायल हो गए।

में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में हिंदू समुदाय के 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ढाका के शाहबाग में शांतिपूर्ण सभा के दौरान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चर्चा है कि महायुति गठबंधन में दरार पड़ गई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के पद पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

अगर भाजपा अजित पवार की एन.सी.पी. के साथ ही गठबंधन करके सरकार बनाती है, तो भी उसके पास पूर्ण बहुमत है।

अजित पवार ने यह बात मान ली है कि भाजपा के पास बहुमत है तो गठबंधन को वही लीड करेगी।

फड़नवीस को समर्थन दे सकते हैं।

फड़नवीस पहले 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तथा 2019 में भी अजित पवार के साथ हुये अल्पकालिक गठबंधन के साथ वे बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। राज्य में हुये इन चुनावों, जिनमें भाजपा ने रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन किया है, में उनके नेतृत्व को पार्टी की रणनीति के एक निर्णायक कारक होने का श्रेय दिया जा रहा है।

गठबंधन के अन्दर पैदा हो रही चिन्ताओं का समाधान करने के लिये, ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि भाजपा शिंदे तथा पवार, दोनों को ही उपमुख्यमंत्री पद को पेशकश करेगी। लेकिन, मंत्री पद के लिये विभागीय और संसाधन आवंटन से सम्बन्धित मुद्दों का अभी समाधान नहीं हुआ है तथा इस दिशा में बातचीत चल रही है। शिंदे-समर्थक महत्वपूर्ण मंत्रालयों के लिये दबाव बना रहे हैं।

## जे.डी.सी. आनंदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

जयपुर, 26 नवंबर जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने आयोग के आदेश की पालना नहीं करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त, आई.ए.एस. आनंदी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। आयोग ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वह आनंदी को गिरफ्तार कर 18 दिसंबर तक आयोग

जिला उपभोक्ता आयोग ने 10 नवम्बर 2023 के निर्देश की पालना नहीं करने पर जे.डी.सी. के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

के समक्ष पेश करे। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश राज सिंह अजमेय के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, जे.डी.ए. की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश की पालना के लिए समय मांगा गया, जिसे आयोग ने खारिज करते हुए जे.डी.सी. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## कनक भवन के मालिकाना हक से जुड़े मामले में महाराज पद्मनाभ को राहत दी सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संपत्ति से जुड़े किसी भी मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट में नहीं होगी

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 26 नवम्बर सेंट्रल पार्क में लक्ष्मी निवास होटल के भीतर निर्मित कनक भवन के मालिकाना हक को लेकर अदालतों में चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किये हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट उक्त मामले में दायर अपीलों और आवेदनों पर सुनवाई न करे। न्यायाधीश जे.बी.पारदीवाला और न्यायाधीश आर.महादेवन ने यह आदेश महाराज पद्मनाभ की ओर से विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) पर सुनवाई करते हुए दिये। इस मामले में याचिकाकर्ता महाराज पद्मनाभ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ मिश्रा और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला और सहायक वकील शाश्वत पुरोहित की ओर से पौरों की गई।

मामले के तथ्यों के अनुसार, वर्ष 2003 में मृदुल गुप्ता व रामशरण गुप्ता की ओर से सेशन जज के समक्ष कनक भवन के 1986 में बेचान को लेकर

जैसा कि विदित है कि कनक भवन तथा लक्ष्मी विलास होटल और सेंट्रल पार्क की संपत्ति जयपुर के भारत में विलय के बाद सरकारी संपत्ति बन गई थी। वहीं रामबाग, लिलिपूल और उसके आसपास की संपत्ति “कोवोर्नेट” के अनुसार राजपरिवार की संपत्ति है।

उल्लेखनीय है कि कनक भवन के बेचान से संबंधित विवाद कई बार निचली अदालत, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक गये हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में आदेश में यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस संपत्ति के बेचान के लिये अनुबंधन अमान्य है।

वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट में इस केस में रामशरण गुप्ता व अन्य की ओर से संपत्ति के मूल मालिक ब्रिगेडियर भवानी सिंह के वंशजों को जोड़ने के लिये आवेदन इसलिये पेश किया गया ताकि उनके निधन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यह मामला निष्फल या निरस्त ना हो

सेल डीड की क्रियान्वित के लिये 2005 में निचली अदालत ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि

हाईकोर्ट 1993 में इस संपत्ति के बेचान के अनुबंध को निरस्त कर चुका है। इस बीच, राजस्थान हाईकोर्ट में वर्ष 2003 में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें उक्त संपत्ति (कनक भवन) पर से अतिक्रमण हटाने की गुहार की गई। परंतु वर्ष 2010 में इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने पुनः अपने आदेश को दोहराया कि 1986 में किया गया बेचान का अनुबंध अमान्य है।

तत्पश्चात, रामशरण गुप्ता व अन्य ने हाईकोर्ट के 2010 के आदेश से आहत होकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। उल्लेखनीय है कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान ही वर्ष 2011 में, इस संपत्ति के पूर्व मालिक ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह का निधन हो गया।

पाठकों को बता दें कि कनक भवन तथा लक्ष्मी विलास होटल और सेंट्रल पार्क की संपत्ति राज पुताना के सामंती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## सड़कों पर उतरे इमरान समर्थक

इस्लामाबाद, 26 नवंबर जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों द्वारा किए गए प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के कारण अर्धसैनिक बल के चार जवान और दो पुलिसकर्मी

इमरान खान की रिहाई को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया, सरकार ने सेना तैनात की और उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश दिया।

मारे गए हिंसा में 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं। इस हिंसा के कारण, सरकार ने राजधानी में सेना तैनात करने के साथ ही, आदेश दिए गए हैं कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दी जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## तेलंगाना सरकार ने फटाफट अडानी ग्रुप का सौ करोड़ रुपये का चैक लौटाया

यह चैक गौतम अडानी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी को दान के रूप में दिया था, तेलंगाना “स्किल डवलपमेंट युनिवर्सिटी” बनाने के लिए

चैक वापसी का निर्णय इस बात का प्रमाण है, कि राहुल गांधी व कांग्रेस अडानी ग्रुप के खिलाफ अपना विरोध और तीव्र करेंगे, संसद व उसके बाहर भी।

विपक्ष ने, विशेषकर बी.आर.एस. के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कटाक्ष किया, एक तरफ तो राहुल गांधी, मोदी व अडानी के गहरे सम्बंधों को “मोडानी” कहकर खिल्ली उड़ाने हैं, दूसरी ओर तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी, अडानी से मित्रता करके सौ करोड़ रुपये का दान लेते हैं, तो क्या नये प्रेम को “रेवडानी” और इस मित्रता को राहुल गांधी का प्रश्रय प्राप्त है, अतः क्या राहुल अडानी सम्बन्धों के “रागाडानी” नहीं कहना चाहिए।

यंग इंडिया स्किल डवलपमेंट युनिवर्सिटी के लिए किसी से भी अनुदान नहीं लेगी, इसमें अडानी की कम्पनी भी शामिल है।

सोमवार को राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप

को लिखा था कि उनकी सरकार स्किल डवलपमेंट युनिवर्सिटी के लिए उनका 100 करोड़ रु. का अनुदान स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि यह अनुबंध एक पारदर्शी

और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए राज्य में ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निविदा जारी की जानी चाहिए। एक सही व्यवस्था व

लोकतांत्रिक तरीके से टैंडर दिए जाने चाहिए, चाहे ये अंबानी को मिले या अडानी या टाटा को। स्किल युनिवर्सिटी के लिए अडानी ग्रुप की ही तरह कई अन्य कम्पनियों ने भी फंड देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि “मैं यह निर्णय दोहराता हूँ कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप से 100 करोड़ रु. का फंड नहीं लेगी।”

तेलंगाना के स्पेशल चीफ सैक्रेटरी और इंडस्ट्रियल प्रमोशन के सरकारी आयुक्त जयेश रंजन ने अडानी फाउण्डेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अडानी को सूचना दी है कि राज्य यंग इंडिया स्किल युनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रु. का अनुदान देने की पेशकश के लिए आपका आभारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)







# पासपोर्ट प्राधिकरण पुलिस रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है : हाईकोर्ट

‘प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट अपने आप में पासपोर्ट लेने से नहीं कर सकती वंचित’

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अपने आप में किसी नागरिक को पासपोर्ट प्राप्त करने के उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसके अलावा पासपोर्ट प्राधिकरण पुलिस की प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट मानने के लिए ही बाध्य नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने केन्द्र सरकार और पासपोर्ट अधिकारी को कहा है कि वह याचिकाकर्ता के पासपोर्ट नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 8 सप्ताह में तय करे। हालांकि अदालत ने पासपोर्ट विभाग को छूट दी है कि यदि मामले में कुछ

प्रतिकूल मिले तो वे विधिनसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। जस्टिस अनूप डंड की एकलपीठ ने यह आदेश सावित्री शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके पासपोर्ट प्राप्त करने या नवीनीकरण करने के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का निर्णय केवल पासपोर्ट प्राधिकरण की ओर से ही लिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राकेश चंदेल ने अदालत को

## कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2023 को लेकर बहस पूरी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2023 में पदों के 15 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने से जुड़े मामले में दायर याचिका पर बहस पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों को बहस सुनकर मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अर्जुन सिंह शेखावत व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रघुचंद्र शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से पुलिस कांस्टेबल के पदों पर गत वर्ष भर्ती निकाली गई। जिसमें सीनियर सैकण्डरी स्तर की सभ्यता पात्रता परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को कांस्टेबल भर्ती के विज्ञापित कुल पदों के मुकाबले 15 गुणा को बुलाना था।

# दिया कुमारी ने केंद्र से 900 नये आंगनबाड़ी भवनों की मांग की



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की।

जयपुर। देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग का एक राष्ट्रीय चिंतन शिबिर जनवरी माह में उदयपुर में आयोजित किया जायेगा। इस चिंतन शिबिर में केन्द्रीय मंत्री समेत सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री भाग लेंगे तथा आंगनबाड़ी केंद्रों, पोषाहार तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर और राज्यों की आवश्यकतानुसार एक रोडमैप तैयार करेंगे।

**■ उदयपुर में तैयार होगा महिला एवं बाल विकास का रोडमैप, जनवरी में होगा राष्ट्रीय चिंतन शिबिर**

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की और विभाग से संबंधित सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दिया कुमारी ने केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मांग की है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं में केन्द्र से मिलने वाले अनुदान की राशि को एकमुश्त जारी

किया जाये, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय हर माह प्राप्त हो सके। उपमुख्यमंत्री ने अपने पत्र में मांग की कि पूरक पोषाहार दरों को बढ़ाया जाये। उन्होंने कहा कि पूरक पोषाहार की दरों का 2017 में पुनर्निर्धारण किया गया था, जिसके युक्तियुक्त पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। दिया कुमारी ने राज्य में नये 900 आंगनबाड़ी भवनों की मांग करते हुए कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र को भिजवा दिये गये हैं, जिन पर कार्यवाही अपेक्षित है।

उन्होंने केन्द्र सरकार से आंगनबाड़ी भवनों के हर पाँच साल में जारी होने वाली 3000 रुपये की मरम्मत राशि को भी जरूरत के अनुसार बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत को लागत 50 हजार से एक लाख तक हो सकती है। उपमुख्यमंत्री ने अपने पत्र में वर्ष 2023-24 के 34.38 करोड़ के केन्द्रों तथा किशोरी बाल योजना के अन्तर्गत तीसरी त्रैमासिक अनुदान की किस्त जारी करने और 340 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने की स्वीकृति जारी करने की भी मांग की। दिया कुमारी ने केन्द्रीय मंत्री से मांग करते हुए कहा कि राज्य को एकमुश्त राशि मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

# आर.सी.डी.एफ. को दिल्ली में मिले दो बड़े पुरस्कार



राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत सरकार की ओर से आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के दो कर्मचारी राजेन्द्र कुमार और वीरेंद्र कुमार सैनी को बेस्ट एआई टैक्नीशियन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली/जयपुर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में आरसीडीएफ की धूम रही। एक ओर जहाँ, आरसीडीएफ से सम्बद्ध भोलवाडा दुग्ध संघ की प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के दो कर्मचारी राजेन्द्र कुमार और वीरेंद्र कुमार सैनी को बेस्ट एआई टैक्नीशियन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। आरसीडीएफ की प्रशासक और प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने प्रतापपुरा दुग्ध समिति के सचिव नानुराम कुमावत और हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के कर्मचारियों के साथ ये पुरस्कार प्राप्त किये। पुरस्कार स्वयं तीन-तीन लाख रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के गृह एवं डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदूम ने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की और राष्ट्रीय स्तर के इन पुरस्कारों के लिये आरसीडीएफ और दुग्ध संघों के

पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज यहाँ नई दिल्ली स्थित मानेकशा सेक्टर में आयोजित राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित एक भव्य समारोह में यह पुरस्कार वितरित किये। पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में गोपाल रत्न राष्ट्रीय अवार्ड एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। विजेताओं का चयन देशभर से 2574 ऑनलाइन आवेदकों में से किया गया था। आरसीडीएफ की प्रशासक और प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने राष्ट्रीय स्तर के इन पुरस्कारों के लिये प्रदेश की सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों और डेयरी कर्मचारियों को बधाई देते हुए इसे उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का फल बताया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी आरसीडीएफ एवं इससे सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आयोजित एक समारोह में भीवाड़ा की दुग्ध उत्पादक लाभाश्री माया देवी और आरसीडीएफ की

## मोदी सरकार ने किया बाबा साहेब के सपने को साकार : मदन राठौड़

जयपुर। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ जिसमें राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ उपस्थित रहे। इसके बाद भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा का उद्बोधन सुना। बीकानेर हाऊस में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। उच्च स्तरीय बैठक में जन सरोकार के विधिक मुद्दों, प्रदेश के विकास और विकसित भारत की संकल्पना जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, केन्द्रीय मंत्री गेड्डे सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव सहित राजस्थान के सदस्य उपस्थित रहे। राठौड़ ने कहा कि संविधान ही आज देश को आगे बढ़ने में कारण साबित हो रहा है। संविधानसभा के अध्यक्ष के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अच्छे-अच्छे शब्दों के रूप में संवैधानिक ग्रंथ बनाकर दिया है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 19 नवम्बर 2015 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी।

# संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है : राजदीपक रस्तोगी

जयपुर। अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, भारत सरकार के अन्य वकील एवं एनजीओ हेल्प्स द्वारा 75वां संविधान दिवस कार्यक्रम मनाया गया। आज अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय राजदीपक रस्तोगी एवं उनके सहयोगी भारत सरकार के अधिवक्ता एवं एनजीओ हेल्प्स के तत्वावधान में 75वां संविधान दिवस का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना के सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति समीर जैन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यायाधिपति अनिल कुमार उपमन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि भारत सरकार के अधिवक्ताओं द्वारा संविधान दिवस मनाने का संभवतः राष्ट्र में यह पहला कदम है और वह अपने अन्य सहयोगियों के सहयोग के कारण इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार आयोजित कर रहे हैं और यह भी बताया कि अन्य स्तरों और सरकारी स्तर पर तो कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं परन्तु भारत सरकार के अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित यह सम्पूर्ण राष्ट्र में पहला कार्यक्रम है और उन्होंने यह बताया कि भारत के संविधान को 26 नवम्बर 1949 को अंगीकार किया गया था और 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह संविधान का अमृत महोत्सव है। रस्तोगी ने प्राचीनकाल में विद्यमान रही न्यायिक व्यवस्थाओं से लेकर वर्तमान में भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला और बताया कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसका संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है और बिना किसी भ्रम, जाति या आर्थिक आधार के समस्त नागरिकों को



अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, भारत सरकार के अन्य वकील एवं एनजीओ हेल्प्स की ओर से राजस्थान सेंटर झालाना के सभागार में 75वां संविधान दिवस कार्यक्रम मनाया गया।

**■ अति. सॉलिसीटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने प्राचीनकाल में विद्यमान रही न्यायिक व्यवस्थाओं से लेकर वर्तमान में भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला**

कहा कि संविधान की रक्षा के लिए न्यायालय सदैव आगे आते रहे हैं और आते रहेंगे जिससे निचले स्तर तक के नागरिक को समान रूप से न्याय मिल सके। एनजीओ हेल्प्स के अध्यक्ष एवं भारत सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त चतुर्वेदी ने संविधान को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया है यह कहा कि किस प्रकार भारत का संविधान अपने आप में एक सम्पूर्ण दस्तावेज है जिसके कारण प्रत्येक नागरिक अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने का अधिकार रखता है और उसे अन्य सभी के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिलता है। कार्यक्रम का संचालन भारत सरकार की वरिष्ठ अधिवक्ता मंजीत कौर द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ सम्पन्न हुआ।

# संविधान के प्रति अश्रद्धा पैदा ना करें : देवनानी

जयपुर। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि संविधान के प्रति अश्रद्धा पैदा ना करें। संविधान के मूल ढांचे को कोई बदल नहीं सकता है। संविधान के 22 भागों में हमारी संस्कृति और नैतिकता का विवरण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संविधान को पढ़ें, उसे जानें और उसके अनुकूल जीवन जीने का प्रयास करें। संविधान हमारी आत्मा और पवित्र ग्रंथ है। यह हमारे जीवन मूल्य व संस्कृति का स्वाभिमान भी है। संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक भारत के लोगों की आकांक्षाओं, मूल्यों और आदर्शों का प्रतिबिम्ब है। देवनानी मंगलवार को विधानसभा में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में राजनैतिक आख्यान संग्रहालय में नवनिर्मित संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया। इस संविधान दीर्घा में मूल संविधान के 22 भागों के आरम्भ में दर्शायी गयी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। देवनानी ने बताया कि संविधान दीर्घा का उद्देश्य आमजन और युवाओं में राष्ट्र और राष्ट्र के संविधान का बोध कराने के साथ ही संविधान, सांस्कृतिक और नैतिकता के प्रति जागरूकता लाना है। उन्होंने संविधान दिवस को संविधान निर्माताओं के प्रति श्रद्धाभाव प्रकट करने तथा उनके अविस्मरणीय योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का स्मरण दिवस बताया है।



विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को विधानसभा में संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया।

लिया। देवनानी ने अधिवक्ताओं का आवाहन किया कि वे संविधान प्रदत्त अधिकारों की पालना कराने में सहयोगी बनें। संविधान की आत्मा और डॉ. अंबेडकर की अपेक्षाओं के अनुरूप आज के समय की आवश्यकता के अनुसार लोगों को शीघ्र न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, संविधान की रक्षा हो, संविधान में निष्ठा हो और हम सभी असंवैधानिक कार्यों से बचें। उन्होंने समाज और राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए कहा। देवनानी ने कहा कि संविधान के 22 भागों के मुख पृष्ठ पर भारत की संस्कृति और स्वाभिमान को दिखाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों में भारत की प्राचीन सभ्यता मोहन जोदड़ो से लेकर महाभारत में

कुरुक्षेत्र और कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान, भगवान श्री राम की लंका विजय, भगवान बद्ध का जीवन चरित्र, महान सम्राट अशोक, उज्जैन के न्यायिक महाज्ञान विक्रमादित्य के राजदरबार, प्राचीन वैदिक गुरुकुल, नालंदा विश्वविद्यालय, भगवान सत्ता न्यायमिले, संविधान की रक्षा हो, शांसी की रानी लक्ष्मी बाई, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, छत्रपति वीर शिवाजी और गुरु गोविन्द सिंह को प्रदर्शित किया गया है। देवनानी ने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लम्बा और लिखित संविधान है। यह हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का इतिहास उन लाखों भारतीयों के संघर्षों

**■ विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान हमारी आत्मा और हमारा पवित्र ग्रंथ**

**■ विधानसभा में पहली बार मनाया गया संविधान दिवस**

जुली ने कहा कि राष्ट्र की वायु, धरती और पानी पर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। राष्ट्र में सभी समान हैं, इसलिए सभी के लिए एक जैसा विधान है, जिसे संविधान कहते हैं। संविधान के मर्म को गहराई से समझे और अपनी जिम्मेदारी निभायें। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि विधान सभा की संविधान दीर्घा और आज के दिवस का सामान-जस्य है। न्याय पालिका, कार्यपालिका और विद्याधिका को मिलकर संविधान का अनुपालन करना चाहिए। संविधान के ज्ञान का प्रसार ही संविधान दिवस का मूल उद्देश्य है। अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत छाबना ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में ही संविधान का स्वरूप निहित है। वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन माथुर ने कहा कि अंतिम व्यक्ति को रहत पहुंचाना ही संविधान की अनुपालना है। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देवनानी ने अतिथियों को संविधान की प्रक्रिया स्मृति स्वरूप भेंट की। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा के सदस्य, पूर्व सदस्य, विशिष्ट सचिव भारत भूषण सिंह, विशिष्ट सहायक के.के. शर्मा सहित अधिवक्ता, विधि महाविद्यालय के विद्यार्थी और विधानसभा के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

## रामपुर फाटक पर बनेगा ओवर ब्रिज

जयपुर। सांगानेर विधानसभा में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। उसमें विधायक भजनलाल शर्मा सांगानेर विधानसभा में लगातार सांगानेर पर सांगत देने का कार्य करते हैं। इस श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामपुर फाटक सांगानेर रेलवे स्टेशन पर लगातार यातायात के दबाव और जनता को घंटे रामपुर फाटक पर इंतजार करते देख रामपुर फाटक पर पुलिया और लो हाइट सबवे बनाने का फैसला लिया है।

## ‘बाँडी बदलाव वाली बसों को सड़क पर चलने की नहीं दे सकते मंजूरी’

जयपुर। हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम और एआईएस नियमों की अवहेलना कर बाँडी में बदलाव करने वाली बसों को आमजन की सुरक्षा को देखते हुए सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि इन बसों के चलने की छूट दी गई तो इससे ना केवल कानूनी नियमों की अवहेलना होगी, बल्कि यह आमजन की सुरक्षा के लिए भी खतरा होगा। अदालत ने याचिकाकर्ता बस संचालकों को छूट दी कि वे संबंधित परिवहन अधिकारी के यहाँ से अपनी बसों की बाँडी में बदलाव करने के लिए उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नियमों की अवहेलना कर वे बसों का संचालन नहीं कर सकते। जस्टिस अनूप कुमार डंड ने यह आदेश हेरेंद्र सिंह व अन्य की याचिकाओं पर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता बस संचालक तय अवधि में अपनी बसों की बाँडी में बदलाव नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में विभाग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर आर तिवारी के नेतृत्व में संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर विचार गोष्ठी एवं सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य वक्ता पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी बीएम शर्मा, विधायक एवं सचेतक रफीक खान, विशिष्ट अतिथि सत्येंद्र सिंह रावत पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं ललित तूनवाल, संगठन महासचिव, प्रदेश कांग्रेस आदि ने संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया और अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु कानून बनाया और उन्होंने संविधान दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर आर

# संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया : जूली

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर आर तिवारी के नेतृत्व में संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर विचार गोष्ठी एवं सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य वक्ता पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी बीएम शर्मा, विधायक एवं सचेतक रफीक खान, विशिष्ट अतिथि सत्येंद्र सिंह रावत पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं ललित तूनवाल, संगठन महासचिव, प्रदेश कांग्रेस आदि ने संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया और अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु कानून बनाया और उन्होंने संविधान दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर आर

**■ संविधान दिवस पर जिला कांग्रेस ने की विचार गोष्ठी**

तिवाड़ी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को संविधान को पढ़ना चाहिए और इसकी जानकारी प्रत्येक कार्यकर्ता को होनी चाहिए कि संविधान में हमें क्या अधिकार दिए हैं और क्या कर्तव्य है। प्रोफेसर बी एम शर्मा ने संविधान दिवस पर आयोजित बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश का संविधान सबसे अधिक समय में लिखा जाने वाला बड़ा संविधान है और लगभग 106 बार इसमें संशोधन करके आज की परिस्थितियों के अनुसार इसको बनाया गया है जबकि अमेरिका में आज भी सबसे छोटा संविधान है और सबसे कम बार संशोधन किया गया है।

कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीना, पूर्व सांसद अशोक अली टाक, पूर्व अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड अर्चना शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जसवंत गुर्जर, स्वर्णिम चतुर्वेदी, सचिव अरूब खान, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी मोहम्मद सलीम, किनय पात जादौन, पी डी शर्मा, जगदीश शर्मा, अतुल पारस, हर्दे पाल सिंह जादौन, युगल किशोर शर्मा, जावेद सेठी, राजीव चौधरी, रतन सैनी, रोहतास सिंह, राजकुमार शर्मा, कैलाश खारड़ा, रामावतार मोरार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ब्लाक अध्यक्ष, मण्डल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, पार्षद, पार्षद प्रत्याशी, पूर्व पार्षद, चारों ग्रामिण संगठन सेवादल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई छात्र संगठन के पदाधिकारी एवं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं उपस्थित थे।





# 'संविधान हमें अधिकारों के साथ कर्तव्य की सीख देता है'

## मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने "संविधान दिवस" कार्यक्रम में भाग लिया

जयपुर, 26 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार संविधान में निहित लोक कल्याण की मूल भावना को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से संविधान की मूल भावना को साकार

■ मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल ने मंत्रियों, प्रेम चन्द बैरवा, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, हेमन्त मीणा, सुरेश रावत, बाबूलाल खराडी व अविनाश गहलोत तथा मुख्य सचिव सुधांशु पंत, विभिन्न विभागों के अति. मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित "संविधान दिवस कार्यक्रम" का दीप जलाकर शुभारम्भ किया।

किया। शर्मा ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे प्रभावी संविधान है। यह हमारे लोकतंत्र का आधार होने के साथ ही, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मार्गदर्शक भी है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि संविधान हमें अधिकार देने के साथ ही, कर्तव्यों की भी सीख देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 नवंबर, 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी, 1950 को ये लागू हुआ, लेकिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री ने इस दिन को चुनकर हमें यह स्मरण कराया कि संविधान हमारे देश की आत्मा है और इसकी सुरक्षा और सम्मान हमारा प्रथम कर्तव्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निमार्ण में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान के अन्य महान

शिल्पियों का अतुलनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाने जैसे प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा, हमारा संविधान केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपस्थित

लोगों को संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विधि एवं विधिक संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराडी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

## 29 नवम्बर को कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेताओं को दण्डित करें तथा हटाएँ तथा पार्टी को चुनावी लड़ाई के लिये उपयुक्त इकाई का रूप दें। राहुल को आत्मनिरीक्षण करने तथा सही कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा पार्टी की स्थिति, वर्तमान स्थिति से भी ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निर्णयों को टालते जाने का समय जा चुका है तथा समय आ गया है कि पार्टी को रास्ते पर लाया जाये तता जैसा भी हो, ई.वी.एम. के मुद्दे पर दो-टुक रूख अपनाया जाये।

## तेलंगाना सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। पर हमने अभी तक किसी भी दानदाता से फंड हस्तांतरण के लिए नहीं कहा था क्योंकि युनिवर्सिटी को सैक्शन 80 जी के तहत आयकर से छूट नहीं मिली थी। चूंकि छूट का आदेश हाल ही में आया है, पर मुझे मुख्यमंत्री ने कहा है कि मौजूदा हालात और विवादों को देखते हुए फंड स्वीकार न किया जाए।

गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को गौतम अडानी ने राज्य के मुख्यमंत्री रैवन्त रेड्डी को राज्य में युनिवर्सिटी बनाने के लिए 100 करोड़ रु. का चेक दिया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि "अडानी फाउण्डेशन का एक प्रतिनिधिमंडल गौतम अडानी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलता तथा 'यंग इंडिया स्किल्स युनिवर्सिटी' के लिए उन्होंने 100 करोड़ रु. का चेक दिया।"

इस पर राज्य में विपक्षी बी.आर.एस. ने और केन्द्र में भाजपा ने कांग्रेस पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाया।

बी.आर.एस. के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने एक्स पर लिखा कि एक ओर तो राहुल गांधी और कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अडानी को "मोदानी" कहते हैं और उनकी दोस्ती का विरोध करते हैं लेकिन तेलंगाना में रैवन्त और अडानी "रैवडानी" दिख रहा है, क्या इसे राहुल गांधी और अडानी "रागाडानी" कहा जाए। उनकी पार्टी ने अडानी ग्रुप के सभी निवेशों को कैसिल करने की मांग की, जिसमें ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर व सीमेंट उद्योग के निवेश शामिल हैं।

भाजपा आई.टी. सैल के अमित मालवीय ने कहा, राहुल गांधी के लिए शर्म की बात है कि उनकी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री, अडानी की बात आए तो राहुल को तबज्जो नहीं देते, भले ही राहुल गांधी दिन भर अडानी-अडानी चिल्लाते रहें।

## सोरेन 28 नवम्बर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जे.एम.ए. ने राज्य के विधान सभा चुनावों में 81 में से 34 सीटें तथा कांग्रेस ने 16 सीटें जीती हैं। महागठबंधन ने कुल 56 सीटें जीती हैं तथा 44.33 प्रतिशत वोट हासिल किये हैं। महागठबंधन में शामिल आर.जे.डी. ने 4 तथा सी.पी.आई. (मार्क्सवादी लेनिनवादी) ने 2 सीटें जीती हैं। भाजपा ने इस चुनाव में 21 तथा उसके नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एन.डी.ए.) ने कुल 24 सीटें जीती हैं।

## 'पूर्व सी.जे.आई. चन्द्रचूड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जबकि प्रतिद्वंद्वी खेमे ने जवाबी याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने विधान सभा स्पीकर राहुल नारवेकर से "डिस्क्वालिफिकेशन" याचिकाओं पर निर्णय लेने को कहा। इस वर्ष जनवरी में, स्पीकर ने शिंदे घटक को "असली शिवसेना" घोषित कर दिया।

राजत के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, पूर्व सी.जे.आई. ने आगे कहा, "यह तर्क हमेशा दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक कस क्यौं नहीं ले रहा है, जो बीस वर्षों से लंबित है? या, क्यौं एक

विशेष केस की सुनवाई नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट की मैनपावर सीमित है और इसमें बैलेंस करना पड़ता है।"

अपने कार्यकाल के संदर्भ में बोलते हुए चंद्रचूड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बोर्ड्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के तहत मदरसों को बंद करने, सिटिजनशिप एक्ट के सैक्शन 6-ए की वैधता, जैसे महत्वपूर्ण केशों में फैसले दिए।" क्या यह कम महत्वपूर्ण था।" पूर्व सी.जे.आई. ने आगे कहा, "हम उस एजेंडा पर नहीं चलते, जो दूसरे हमारे लिए तय करते हैं।"

## बांग्लादेश में इस्काँन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हिंदू समुदाय के लोगों और चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुशाल बरन पर भी हमला हुआ है। इस मामले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कई लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है।

चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद इस्काँन ने एक्स पर एक पोस्ट किया। जिसमें कहा, हमें चिंताजनक खबर मिली है कि इस्काँन बांग्लादेश के प्रमुख नेता चिन्मय कृष्ण दास को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस्काँन भारत सरकार से तुरंत कदम उठाने और बांग्लादेश सरकार से बात करने की अपील करता है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार चिन्मय कृष्ण दास को जल्द रिहा करे।

बता दें कि, इसी साल 30 अक्टूबर को बांग्लादेश में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में देशद्रोह अधिनियम के तहत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।

आरोप है कि 25 अक्टूबर को चटगांव के लालदीपी मैदान में सनातन जागरण मंच ने आठ सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। इस दौरान एक चौक पर स्थित आजादी स्तंभ पर कुछ लोगों ने भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। इसे लेकर चिन्मय कृष्ण दास पर राष्ट्रीय झंडे की अवमानना व अपमान करने का आरोप लगाया गया है।

## कनक भवन के मालिकाना हक से जुड़े ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्यों के भारत में विलय होने के पश्चात सरकारी संपत्ति बन गई थी। वहीं रामबाग, लिलिपूल और उसके आसपास की संपत्ति "कोवोनेट" (राजस्थान का भारत में विलय होने से जुड़ी संधि) के अनुसार राजपरिवार की संपत्ति है।

कनक भवन के मालिकाना हक के लिये रामशरण गुप्ता व अन्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में आदेश दिये थे कि कनक भवन के मामले में हाईकोर्ट या कोई भी अदालत किसी भी तीसरी पार्टी के आवेदन पर कोई भी मुकदमा नहीं सुनेगा। अदालत ने यह भी कहा कि बार-बार हुए मुकदमों में अदालतें कई बार कह चुकी हैं कि इस संपत्ति के

वेचान के लिये अनुबंधन अमान्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रामशरण गुप्ता व अन्य ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में रिट याचिका भी दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना याचिका भी शुरू की थी, जिसे तभी वापिस लिया गया, जब इन लोगों ने अदालत से बिना शर्त माफी मांग ली थी। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2017 के आदेश पर दायर रिट्यू याचिका भी खारिज कर दी गई।

हरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने आदेशों के बावजूद वर्ष 2022 में हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर कनक भवन के मूल मालिक, ब्रिगेडियर

सवाई भवानी सिंह के उत्तराधिकारियों को केस में जोड़ने का आग्रह किया गया, जिसे हाईकोर्ट ने 3000 रुपए का विलम्ब शुल्क लगाकर स्वीकार कर लिया। मामले को जानने वाले वकीलों का कहना है कि यह आवेदन रामशरण गुप्ता व अन्य की ओर से इसलिये दायर किये गये, क्योंकि ब्रिगेडियर भवानी सिंह के निधन के बाद यह मामला निष्फल हो गया था।

इस वकील का यह भी कहना था कि आवेदन दायर करने का कारण यह भी था कि राजपरिवार के सदस्यों या राज्य सरकार से किसी तरह का मुआवजा एंटा जा सके। महाराज पदमनाभ ने सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. हाईकोर्ट द्वारा आवेदन स्वीकार करने के खिलाफ दायर की थी।

### क्या अवास्तविक रिटर्न का वादा करने वाली योजनाओं में आपके पैसे डूब गए हैं?

वित्तीय मामलों से जुड़ी अपनी शिकायतें सचेत पोर्टल पर दर्ज करें

- यह पोर्टल वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें <https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

आरबीआई कहता है... सचेत बनिए, सुरक्षित रहिए!

अधिक जानकारी के लिए, <https://bikethatai.rbi.org.in/sachet> पर क्लिक करें

जनहित में जारी भारतीय रिजर्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

### मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना

श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री

## आवेदन आमंत्रित

निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर द्वारा RKCL के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं के लिए कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण

<b>RS-CIT</b> आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण	<b>RS-CFA</b> GST, Tally आधारित वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण	<b>RS-CSEP</b> स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण
---	--	---

योजना के तहत आवेदन [www.myrkcl.com/wcd](http://www.myrkcl.com/wcd) पर किया जा सकता है।

आवेदन की अंतिम तिथि 16-12-2024

योजना एवं चुनिंदा आईटी ज्ञान केन्द्र की जानकारी [www.wcd.rajasthan.gov.in](http://www.wcd.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

निदेशालय महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार